t of DASJ II, Munger

ST. 65/26

16.04.26

वाद के कुल चौदह अभियुक्तगण (1) प्रमोद कुमार शर्मा (2) सुबोध कुमार सिंह उर्फ पप्पु सिंह (3) विनोद कुमार सिंह (4) सावन कुमार (5) सुनील कुमार सिंह (6) देवी रानी कुमारी (7) सुमन कुमार (8) ओम गौरव कुमार (9) बादल कुमार (10) मोनु कुमार उर्फ सुमम कुमार (11) इंदु देवी (12) लक्ष्मी देवी (13) शैल प्रिया (14) मिनिक्षी देवी की हाजरी है। अभियोजन की ओर से हाजरी है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकनोपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 323, 341, 147, 148, 379, 307, 353, 120(B), 152, 332, 333 /149 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया। अभियुक्तों को आरोप हिंदी में पढ़कर सुनाया एंव समझाया गया। अभियुक्तों ने अपना दोष अस्वीकार किया। एंव वाद विचारण की याचना करते है। कार्यालय साक्षियों के विरुद्ध सम्मन निर्गत करें।

तत्पश्चात् बचाव पक्ष एंव विद्वान अपर लोक अभियोजक आवेदन दाखिल कर निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद का मूल अभिलेख ST-194/21 है। एंव दोनो वाद एक ही थाना- असरगंज थाना कांड

लगातार

Court of DASJ-II, Munger
ST - 65/26

लगातार

16.04.26: संख्या - 91/21 से उत्पन्न है। दोनो वाद वास्ते साक्ष्य हेतु लंबित है। अत: न्यायहित को ध्यान में रखते हुए। प्रस्तुत वाद ST-65/26 को इसके मूल वाद ST-194/21 में समायोजित किया जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है। कि प्रस्तुत वाद का मूल अभिलेख ST-194/21 है। दोनो वाद एक ही थाना- असरगंज थाना काण्ड संख्या - 91/21 से उत्पन्न है एवं दोनो वाद वास्ते साक्ष्य हेतु लंबित है एवं दोनों वादों में से किसी वाद में एक भी गवाही नही हुआ है। अत: न्यायहित को ध्यान में रखते हुए। प्रस्तुत वाद ST-65/26 को इसके मूल वाद ST-194/21 के साथ समायोजित (Amalgamate) किया जाता है। अब प्रस्तुत वाद ST-65/26 के सभी चौदह (14) अभियुक्तों के विरुद्ध वाद की अग्रिम कार्यवाही प्रस्तुत वाद के मूल अभिलेख ST-194/21 में चलेगी।

लेखापित

DASJ-II